संख्या–2–ई.एम./2009–का–4–2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 25 अगस्त, 2010

विषयः– सेवा संवर्गो की समस्याओं के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 3.3.2010 के द्वारा निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैंः–

(1) सेवा संगठनों की मांगों पर विभागीय प्रमुख सचिव एवं सचिवगण द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक बैठकें आहूत कर मांगों / समस्याओं का निराकरण कराया जाय । जिन मांगों/समस्याओं का निराकरण तत्काल संभव न हो किन्तु विचार–विमर्शोपरान्त विभाग के स्तर पर उनका निराकरण संभव हो, को विचार–विमर्शोपरान्त विभागीय स्तर पर उनका निराकरण सुनिश्चित कराया जाय ।

(2) जिन मांगों / समस्याओं का निराकरण विभाग स्तर पर संभव न हो, को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्मिक विभाग को संदर्भित कर दिया जाय, ताकि कार्मिक विभाग द्वारा उक्त मांगों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके ।

(3) उपर्युक्त से संबंधित सूचना/ विवरण कार्यक्रम कियान्वयन विभाग को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि मा. मुख्य मंत्री जी की मासिक समीक्षा बैठक में कृत कार्यवाही की समीक्षा/ अनुश्रवण किया जा सके ।

2. समसंख्यक शासनादेश दिनांक 12.3.2010 के द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी निर्गत किये गये हैं ।

3. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि अभी भी कतिपय विभागों द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों/ समस्याओं पर मासिक रूप से बैठकें आयोजित नहीं की जा रही हैं । उक्त स्थिति उचित नहीं है, अतः आपको निम्नवत् निर्देशित करने का मुझे पुनः निदेश हुआ हैः–

(1) शासनादेश दिनांक 3.3.2010 एवं दिनांक 12.3.2010 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, उक्त शासनादेशों में अंकित समय–सारिणी के अनुसार कृत कार्यवाही की सूचना कार्यक्रम कियान्वयन विभाग एवं कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

(2) कर्मचारी संगठनों की मण्डल/जनपद स्तरीय इकाइयों की मांगों /समस्याओं का निराकरण संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश दिनांक 3.3.2010 में अंकित समय–सारिणी के अनुसार किया जाय । जिन मांगों का निराकरण उनके स्तर पर संभव न हो, का विवरण संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित कर दिया जाय ।

4. उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव